न्यात

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 31/2020

परजीत कौर पत्नि दरबार सिंह जाति सिक्ख निवासी ग्राम कैथवाडा तहसील पहाडी

प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पहाडी
2. बलबन्त सिंह } पुत्रगण बलकार सिंह जाति सिक्ख
3. मानसिंह } निवासीयान ग्राम कैथवाडा तहसील पहाडी भरतपुर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट

1. श्री सतीश शर्मा वकील प्रार्थीया

दिनांक :—20/12/2021

निर्णय

प्रार्थीया द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 2622/0.07, 2623/0.08, 2617/0.08 हैक्टर बांके ग्राम कैथवाडा प्रथम तहसील पहाडी में स्थित है। आराजी खसरा नम्बर 2622/0.07 की प्रार्थीया तथा खसरा नम्बर 2623/0.08, 2617/0.08 के अप्रार्थी संख्या 2 व 3 रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है और प्रार्थीया व अप्रार्थीगण अपनी–अपनी आराजी पर पूर्व स्थिति अनुसार काबिज काश्त करते चले आ रहे है तथा आराजी मौके पर पूर्व स्थिति अनुसार ही काबिज काश्त है अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की आराजी पूर्व में एक बीघा यानि 0.16 हैक्टर का एक ही नम्बर था जो एक ही जगह स्थित था और अप्रार्थीगण एक ही जगह काबिज काश्त करते चले आ रहे है लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बिना मौका व कब्जा की जाँच परताल किये अप्रार्थीगण के आराजीयात को दो अलग–अलग खसरा नम्बर 2617, 2623 बनाकर वर्तमान रिकॉर्ड में गलत तरमीम कायम कर अलग–अलग जगह दर्शित कर दिया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा खसरा नम्बर 2623 को गलत तरीके से प्रार्थीया के खसरा नम्बर 2622 के सटमा रोड के सहारे दर्शित कर गलत तरमीम कायम करदी गई जबकि मौके पर खसरा नम्बर 2623 खसरा नम्बर 2617 से सटमा स्थित है और इस जगह आज भी अप्रार्थी संख्या

प्रमाणित छायाप्रति
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

2 व 3 द्वारा काबिज काश्त किया जा रहा है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा की गई गलत तरमीम के कारण प्रार्थीया को काफी परेशानी हो रही है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बिना मौका व कब्जा की परताल किये रिकॉर्ड में की गई गलत नक्शा तरमीम में दुरूस्ती कर खसरा नम्बर 2623 को प्रार्थीया के खसरा नम्बर 2622 के पास से हटाकर मौका व कब्जानुसार खसरा नम्बर 2617 के पास सटमा रिकॉर्ड दर्शित करने के आदेश फरमाये जावें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीया दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण न्यायालय में उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार ने जबाब इस आशय का पेश किया कि हाल नक्शे में साविक रिकॉर्ड अनुसार आराजी खसरा नम्बर 2622/0.07 प्रार्थीया खसरा नम्बर 2623/0.08, 2617/0.08 अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जो पूर्व में एक ही नम्बर का नम्बर था जिसे सैटलमेन्ट विभाग द्वारा तरमीम करते समय दो अलग–अलग नम्बरान कायम कर दिये खसरा नम्बर 2623 को खसरा नम्बर 2622 के पास दर्शित कर दिया गया जो कि गलत है खसरा नम्बर 2623 व 2617 एक ही खसरा नम्बर के दो खसरा नम्बरान है। खसरा नम्बर 2617 के पास ही अप्रार्थीगण का मौका अनुसार कब्जा है। पुनः तहसीलदार पहाडी से मौका पर्चा रिपोर्ट तलब की गई। मुताबिक मौका पर्चा रिपोर्ट मौके पर फीता चलाकर पाया की आराजी खसरा नम्बर 2623 लगभग 0.03 हैक्टर , 2622–0.04, 2621–0.08 हैक्टर, 2617–0.16 हैक्टर है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खसरा नम्बर 2623/0.08 दर्ज है। जिसमें मानसिंह, कुलवन्त सिंह पिसरान बलकार सिंह दर्ज रिकॉर्ड है। परन्तु मौके पर परमजीत कौर पत्नि दरवार सिंह काबिज काश्त है। मौके पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है प्रार्थीया व अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 मुताबिक कब्जा काश्त है।

अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुये प्रार्थना पत्र आदेश 12 नियम 6 जा0दी0 इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 2622/0.07, 2623/0.08, 2617/0.08 हैक्टर बांके ग्राम कैथवाडा प्रथम में स्थित है। आराजी खसरा नम्बर 2622 की प्रार्थीया तथा खसरा नम्बर 2623, 2617 अप्रार्थीगण यानि हमारा होना स्वीकार किया है पूर्व में यह आराजी 0.16 हैक्टर का एक ही नम्बर था जो एक ही जगह स्थित था लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा बिना मौका व कब्जा की जाँच किये हमारी आराजी को दो अलग–अलग खसरा नम्बर 2617/0.08, 2623/0.08 बनाकर वर्तमान रिकॉर्ड में गलत तरमीम कायम कर अलग–अलग जगह दर्शित कर दिया है खसरा नम्बर 2623 को गलत तरीके से प्रार्थीया के खसरा नम्बर 2622 के सटमा रोड के सहारे दर्शित कर गलत तरमीम कायम कर दी गई है। परन्तु मौके पर खसरा नम्बर 2623, खसरा नम्बर 2617 से सटमा

प्रमाणित छायाप्रति
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

स्थित है। जिसे प्रार्थीया तरमीम को शुद्ध कराना चाहती है। इसमें हम अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 को कोई आपत्ति नहीं है।

बहस वकील प्रार्थीया सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को ही दोहराया ।

हमने बहस उभय पक्षकारान का मनन किया, पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जबाब तहसीलदार एवं मौका रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण रकबा शुद्धि का है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड आराजी खसरा नम्बर 2622/0.07 प्रार्थीया एवं खसरा नम्बर 2623/0.08, 2617/0.08 अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज है। परन्तु मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट आराजी खसरा नम्बर 2623 लगभग 0.03 हैक्टर , 2622–0.04, एवं 2617–0.16 हैक्टर है। जो कि रिकार्ड के विपरीत है। प्रार्थीयां के नाम 0.07 है0 एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम 0.16 है0 जमीन दर्ज है। जो कि मौके अनुसार भी समान ही है। परन्तु नक्शे की स्थिति विपरीत है। आराजी खसरा नम्बर 2623 एवं 2622 मौके अनुसार 0.07 है0 के है। और प्रार्थीयां के कब्जे में है। आराजी खसरा नम्बर 2617 मौके अनुसार 0.16 है0 का है। और अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के कब्जे में है। इस तथ्य पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को कोई आपत्ति नहीं है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि बन्दोबस्त विभाग द्वारा नक्शा तरमीम करते समय भारी भूल की है। जिसे सुधारा जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। आराजी खसरा सं0 2623 का रकबा 0.08 है0 के स्थान पर 0.03 है0, आराजी खसरा सं0 2622 का रकबा 0.07 है0 के स्थान पर 0.04 है0 एवं आराजी खसरा सं0 2617 का रकबा 0.08 है0 के स्थान पर 0.16 है0 शुद्ध किया जाता है। एवं आराज़ी खसरा सं0 2623 पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम कलमजन कर प्रार्थीयां के नाम दर्ज किया जाता है। तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 15.11.2021 निर्णय के साथ जुज रहेगी।

निर्णय आज दिनांक 20/12/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

प्रमाणित छायाप्रति
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner